न्यायालय तहसीलदारबेगूँ जिला चित्तौडगढ

प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 04.10.2024

श्री हरकुबाई पत्नि रणजीतकुमार हरिजन निवासी बेगूँ तह.बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

1.श्री कमलेश पिता चतुर्भुज कुम्हार नि.नंदवाई तह.बेगूँ
2. श्री गोपाललाल पिता चतुर्भुज कुम्हार नि.नंदवाई तह.बेगूँ
3.श्री भगवतीलाल पिता चतुर्भुज कुम्हार नि.नंदवाई तह.बेगूँ

अप्रार्थी

आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी)राजस्थान काश्तकारी अधि.

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 08.04.2024 को इस आशय के तथ्य के साथ अन्तर्गत धारा 183 बी रा.का.अधि. का प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा इसकी खातेदारी की भूमी ग्राम मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी तहसील बेगूँ मे स्थित होकर आराजी नम्बर 1962/559 रकबा 1.1340 है. है ।इस भूमि पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया है।

पटवारी पटवार हल्का मण्डावरी व भू अभिलेख निरिक्षक बेगूँ से उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त हुई,रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि आ.न.1962/559 रकबा 1.1340 है. मे से रकबा 0.19 है. भूमि पर भगवतीलाल पिता चतुर्भूज कुम्हार तथा 0.7480 है. भूमि पर कमलेश पिता चतुर्भुज कुम्हार का एंव रकबा 0.1408 है. पर नन्दी गौशाला का अतिक्रमण है व 0.0308 है. भूमि पर सती माता मन्दिर की बाउण्डरी बना होना जाहिर किया।वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के संबंध मे मौखिक आपत्ति जाहिर किये जाने पर पुनः राजस्व टीम गठित कर नये सिरे से जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे निर्देशित किये जाने उपरान्त टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे कमलेश तथा भगवतीलाल का संयुक्त रूप से 0.53 है. भूमि पर अतिक्रमण होना तथा शेष रकबा 0.6040है. पर गौशाला ,सती माता मन्दिर परिसर,रास्ता व पडत खाली भूमि होना जाहिर किया

अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब दावे मे उक्त आराजियात पर अपना कब्जा होना नही माना । प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया ,पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होना प्रमाणित है इसके खण्डन मे विपक्षी की और से कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नही किये गये है इसलिये प्रथम दृष्यटा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इस संबंध मे दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही होने से भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होना प्रमाणित है।

तहसीलदार (रा.प्र.से.)
बेगूँ जिला चित्तौडगढ

प्रकरण संख्या 01/2024
अनवान हरकुबाई बनाम कमलेश

न्यायालय का मत है कि धारा 183 बी रा.का.अ. की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण की श्रैणी मे आती है तथा यह धारा अनुसूचित जाति के खातेदारो के हितो की रक्षा हेतु बनायी गयी है। तथा न्यायालय का यह कर्तव्य अपेक्षित किया गया है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियो से मुक्त कराया जावे। प्रस्तुत प्रकरण मे भूमि निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की है जिस पर अप्रार्थी का अतिक्रमण है। जो अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से उसे इस भूमि पर अतिक्रमण बनाये रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है इसलिये न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी की भूमि से विपक्षी का अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिचार से मुक्त करके प्रार्थी को सिपुर्द कराई जावे।

अत: न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी के आराजी न. 1962/559 रकबा 1.1340 है. भूमि मे से रकबा 0.53 है पर से अप्रार्थी का अतिक्रमण हटाया जाकर प्रार्थी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया जाता है आदेश की पालना के लिये पटवारी पटवार हल्का मण्डावरी व भू अभिलेख निरिक्षक बेगूँ को आदेश की प्रति के साथ पत्र जारी होवे कि पटवारी व भू.अ.नि. 07 दिन की अवधि मे मौके पर उपस्थित होकर ग्राम मण्डावरी की आराजी संख्या आ.न. 1962/559 रकबा 1.1340 है. भूमि मे से रकबा 0.53 है. भूमि का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया,पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एव दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
[illegible]
तहसीलदार बेगूँ